संख्या-90/2022/926/2275084/12-5002(099)/15/2022

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक 26 दिसम्बर, 2022**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 05-जिला संगठन योजना के मानक मद 49-चिकित्सा व्यय में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी०ए०/876/पुनर्विनियोग 2022-23, दिनांक 01.12.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 05-जिला संगठन योजना के मानक मद 49-चिकित्सा व्यय में रू0 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोग आदेश संख्या-आर०ई०-बजट-1-196, दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 के माध्यम से व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्ता के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

(2) योजनान्तर्गत जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(5) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि का आहरण/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 05-जिला संगठन योजना के मानक मद 49-चिकित्सा व्यय के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20222023-926-2275084-12-5002-099-15-2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्यात-011 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 05-जिला संगठन योजना हेतु पुनर्विनियोग के संबंध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401000010500 (जिला संगठन)	01 (वेतन)	1,01,38,80,000 रुपये एक अरब एक करोड़ अड़तीस लाख अस्सी हजार मात्र	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	1,01,08,80,000	2022-2023

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401000010500 (जिला संगठन)	49 (चिकित्सा व्यय)	1,25,00,000 रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	1,55,00,000	2022-2023

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें :-

1-स्तम्भ-3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है-

अ-वास्तविक मॉग के आधार पर बचत है।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में वास्तविक आवश्यकता के कारण अनुदान की आवश्यकता है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर सं-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्याः आर ई-दानिट-I-196 /-2022-23, दिनांक- 16 दिसंबर, 2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

(अमर चन्द्र)
अनु सचिव

(फूल चन्द यादव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या 92-423/75-084)/12-5002(099)/15/2022 > दिनांक- दिसंबर, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार, (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से
(अमर चन्द्र)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।